

## कार्यालय जिलाधिकारी, खीरी।

(खनन अनुभाग)

संख्या:- 2156 / खनन / ड्रेजिंग / 2025-26

दिनांक 16.06.2025

### उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिए पुनः अति अल्पकालिक ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना:

जनपद खीरी में शारदा नदी पर स्थित रेलवे पुल नं०-97 के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु ड्रेजिंग एवं चैनलाईजेशन का कार्य कराया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत निकाले गये ड्रेज्ड मैटेरियल (मिट्टी/साधारण बालू) को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं० 86-01099/51/2023 दिनांक 19-03-2024 में दिये गये निर्देशानुसार ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से सा० बालू हटाये जाने हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक **19.06.2025 से 25.06.2025** साय 5.00 बजे तक क्षेत्र से भण्डारित बालू उठान हेतु [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पोर्टल के माध्यम से अति अल्पकालिक द्वितीय चरण ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः ड्रेज्ड मैटेरियल को निस्तारित किये जाने हेतु अवशेष लाट संख्या 01 से 10 तक दिनांक **19.06.2025 से 25.06.2025** तक अति अल्पकालिक द्वितीय चरण ई-निविदा आमंत्रित किया जाना है। जो दिनांक 26.06.2025 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जानी है।

#### उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल साधारण बालू का विवरण -

| क्र० सं० | तहसील | लाट सं० | खनिज का नाम | नदी का नाम | एकत्रित बालू की मात्रा (घनमीटर में) | वर्तमान में एकत्रित अद्यतन बालू की मात्रा (घनमीटर में) | भण्डारित स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर |           |
|----------|-------|---------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|          |       |         |             |            |                                     |                                                        | अक्षांश                               | देशान्तर  |
| 1        | 2     | 3       | 4           | 5          | 6                                   |                                                        | 8                                     | 9         |
| 1        | पलिया | 1       | साधारण बालू | शारदा      | 2065                                | 2065                                                   | 28.381473                             | 80.54982  |
| 2        | पलिया | 2       | साधारण बालू | शारदा      | 20350                               | 20350                                                  | 28.381468                             | 80.549836 |
| 3        | पलिया | 3       | साधारण बालू | शारदा      | 20350                               | 20350                                                  | 28.381468                             | 80.549836 |
| 4        | पलिया | 4       | साधारण बालू | शारदा      | 15000                               | 40950                                                  | 28.38132                              | 80.550238 |
| 5        | पलिया | 5       | साधारण बालू | शारदा      | 3202.0                              | 3202.0                                                 | 28.380695                             | 80.551502 |
| 6        | पलिया | 7       | साधारण बालू | शारदा      | 7480                                | 7480                                                   | 28.379521                             | 80.554365 |
| 7        | पलिया | 9       | साधारण बालू | शारदा      | 8652                                | 8652                                                   | 28.382003                             | 80.553562 |
| 8        | पलिया | 10      | साधारण बालू | शारदा      | 2820                                | 2820                                                   | 28.382003                             | 80.553562 |
| 9        | पलिया | 11      | साधारण बालू | शारदा      | 8625                                | 8625                                                   | 28.385571                             | 80.55226  |
| 10       | पलिया | 12      | साधारण बालू | शारदा      | 33600                               | 33600                                                  | 28.384825                             | 80.553378 |

#### शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- उप खनिज निकासी की अवधि 02 माह अथवा बाढ़ (जलस्तर बढ़ने) से पूर्व उपखनिज निकासी के पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की होगी। उपर्युक्त अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- ड्रेज्ड भण्डारित बालू हटाने की उपर्युक्त अवधि अथवा ड्रेजिंग का कार्य शुरूआत होने जिससे परिवहन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-
  - विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल विज्ञापित किया गया हो
  - विज्ञापित में क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल का क्रमांक
  - निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर
  - उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो-

उपखनिज का नाम - साधारण बालू

तहसील का नाम - पलिया

भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम - रेलवे पुल नं०-97 दौलतापुर तह० पलिया जिला खीरी।

- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थायी और वर्तमान, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा- वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

- (च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।
- (छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमी०) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज (साधारण बालू) द्वितीय श्रेणी की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रुपये 55/- घनमी० से उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25% के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी खीरी के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोल जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक खनन अनुभाग, कलेक्ट्रेट खीरी में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- (ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र
- (झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है।
- (ञ) पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- 4- ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 19.06.2025 से 25.06.2025 को सायं 5:00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जा सकेगी।
- 5- विज्ञप्ति के अनुसार नियत कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26.06.2025 को अपराह्न 3:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई-टेंडर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।
- 6- बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 26.06.2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
- 7- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 8- जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 9- भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 10- क्षेत्र से निकासी की जानें वाली खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
- 11- निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
- 12- ई-निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी अग्रिम रूप में जमा 25% की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 14- मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- 15- निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
- 16- भण्डारण स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेंडर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 17- शासन एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के खनन कार्य से सम्बन्धित नियमों का किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जायेगा।

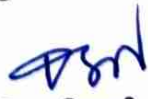
- 18- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क धनराशि मु0 10,000.00 रु0 का जिलाधिकारी, खीरी के नाम ई-चालान प्रत्येक कम संख्या/लाट के लिए अलग-अलग जमा करना होगा। जो किसी भी दशा में वापस न होगा।
- 19- प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
- 20- यदि निविदाकार द्वारा वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- 21- तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियाँ भरने के बाद उसको **Save** कर लिया जाएगा।
- 22- निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जाएंगे।
- 23- सफल निविदादाता को देय निविदा रायल्टी धनराशि पर 02% टी0सी0एस0, 10% जिला न्यास निधि देय होगी।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)  
जिलाधिकारी, खीरी।

### संख्या तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3-प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-मुख्य अभियंता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर/दक्षिण खीरी।
- 6-अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) खीरी।
- 7-अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर।
- 8-अधिशाली अभियंता, बाढ़ खण्ड, लखीमपुर खीरी।
- 9-अधिशाली अभियंता, खण्ड प्रथम, शारदा नहर, खीरी।
- 10-प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म।
- 11-समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद खीरी को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
- 12-वरिष्ठ कोषाधिकारी, खीरी।
- 13-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, खीरी को इस निर्देश के साथ की उक्त सूचना जनपद खीरी के एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14-नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट-खीरी को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
- 15-सम्बन्धित समिति के सदस्यों व अपर जिलाधिकारी, खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म से डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुए ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

  
जिलाधिकारी, खीरी।

**ड्रेज्ड मैटरियल/साधारण बालू निस्तारण हेतु ई-निविदा प्रपत्र**

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी हो                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 2  | विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| 3  | निविदाकार का नाम                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 4  | निविदाकार के पिता का नाम                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| 5  | स्थायी पता                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 6  | वर्तमान पता                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| 7  | मोबाइल नम्बर                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
| 8  | ई-मेल आईडी                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 9  | पैन कार्ड नम्बर                                                                                                                                                                                               | पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।                                                             |
| 10 | पता का प्रमाण-पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा)<br>वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड।<br>फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण। | पहचान-पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।                                                            |
| 11 | जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण<br>क. उप खनिज का नाम—<br>ख. जनपद का नाम—<br>ग. तहसील का नाम—<br>घ. ड्रेज्ड मैटरियल भण्डारण का स्थल—<br>ड. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या—                             |                                                                                                                        |
| 12 | निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र                                                                                                                                  | घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।                                                   |
| 13 | जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र.                                                                                                                                             | चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी                                |
| 14 | खनिज के प्रति घन मी० के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।                                                                        | रु०— प्रति घन मी० (अंको में)<br>रु०— प्रति घन मी० (शब्दों में)                                                         |
| 15 | विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई ड्रेज्ड मैटरियल भण्डार की मात्रा                                                                                                                                           | —————घनमीटर                                                                                                            |
| 16 | क्षेत्र में ड्रेज्ड मैटरियल भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची-1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण | बैंक ड्राफ्ट की धनराशि ———<br>बैंक का नाम व शाखा—————<br>बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

स्थान:-

निविदाकार के हस्ताक्षर